महाविद्यालयों एवं विद्यार्थियों के लिये

अनुदेश

01. समस्त सम्बंद्ध महाविद्यालयों द्वारा सतत आन्तरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा के अंकों को समयान्तर्गत आनलाईन एवं आफलाईन प्रेषण सुनिश्चित किया जाय।

02. सभी सम्बद्ध महाविद्यालय वोकेशनल एवं को–करिकुलर पाठ्यक्रम से सम्बन्धित पाठ्य सामग्री विद्यार्थियों के उपयोगार्थ अपने–अपने महाविद्यालय की वेबसाईट पर अवश्यरूपेण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

03. सभी सम्बद्ध महाविद्यालय अपने–अपने महाविद्यालयों में हेल्प–डेस्क की स्थापना सुनिश्चित करेंगे। विद्यार्थियों से सम्बन्धित विविध समस्याओं से सम्बन्धित आवेदन पत्र हेल्प–डेस्क पर जमा होंगे। तत्पश्चात प्राचार्य के लेटरहेड पर पत्र के साथ समस्त आवेदन पत्र विश्वविद्यालय प्रेषित किये जायेंगे और विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों की समस्याओं का त्वरित निदान सुनिश्चित किया जायेगा।

04. सभी सम्बद्ध महाविद्यालय अपने महाविद्यालयों में प्रायोगिक/मौखिकी/सतत आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षा की **नियत तिथि** की सूचना से विद्यार्थियों को परीक्षा तिथि से कम से कम 03 दिन पूर्व अवश्यरूपेण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

05. प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा अपने महाविद्यालय में प्रयोगशाला एवं उससे सम्बन्धित उपकरणों की उपलब्धता अवश्यरूपेण सुनिश्चित की जायेगी।

06. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समयावधि में समस्त महाविद्यालयों को सतत आन्तरिक मूल्यांकन की परीक्षा सम्पन्न कराकर अंक अपलोड कराना होगा। निर्धारित समयावधि में अंक अपलोड न कराने वाले महाविद्यालयों पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा। ऐसी दशा में विद्यार्थियों का प्रवेश पत्र भी निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित महाविद्यालय की होगी।

07. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्रत्येक महाविद्यालय को प्रतिदिन/प्रतिपाली आनलाईन Absentee Statement विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

08. उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन (Evaluation) से असन्तुष्ट परीक्षार्थी परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से 15 दिनों तक अपनी उत्तरपुस्तिका की स्कैन कापी जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आनलाईन आवेदन कर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति प्रश्नपत्र रु0 –100/– मात्र विश्वविद्यालय के खाता संख्या– 50100098766416, IFSC CODE –HDFC0001885 में आनलाईन जमा किया जायेगा। उक्त निर्धारित अवधि के उपरान्त उत्तरपुस्तिका प्राप्त करने हेतु आनलाईन RTI आवेदन किया जाना सम्भव नहीं होगा। अपनी उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन (Evaluation) से असन्तुष्ट अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन को चुनौती दे सकते है, जिसे चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) कहा जायेगा। चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के लिये सभी पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी को रू0 2,500/– (दो हजार पाँच सौ) प्रति प्रश्नपत्र विश्वविद्यालय के खाता संख्या – 50100098766416, IFSC CODE –HDFC0001885 में आनलाईन जमा करना होगा। समस्त उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकित

होने तथा उसमे दिये गये अंको एवं उनके योग में त्रुटि न होने के बावजूद अभ्यर्थी परीक्षक द्वारा किये गये मूल्यांकन से असन्तुष्ट है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन को चुनौती देने हेतु विश्वविद्यालय वेबसाइट के Student Corner Portal में अवस्थित "Click for Challenge Evaluation Form Filling" लिंक पर Click करें। चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) में यदि मूल प्राप्तांक के 20 प्रतिशत या उससे कम का अन्तर पाया जाता है, तो जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) से यदि परीक्षार्थी के प्राप्तांकों में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होती है, तो रु0–1,000/– कटौती करके शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी। चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) में प्राप्तांकों में 20 प्रतिशत से अधिक बदलाव होने की स्थिति में मूल मूल्यांकनकर्त्ता के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

09. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (N.E.P.)–2020 के कतिपय प्राविधान विद्यार्थियों के संसूचनार्थ बतौर स्पष्टीकरण निम्नवत् हैं:–

स्पष्टीकरण

(i) यदि किसी विद्यार्थी की विषम/सम सेमेस्टर की सम्पूर्ण परीक्षाएँ छूट गयी हों:–

स्पष्टीकरण– विद्यार्थी का Year Back हो जायेगा। विद्यार्थी अगले वर्ष के विषम/सम सेमेस्टर में विश्वविद्यालय पोर्टल पर बैक पेपर हेतु आनलाईन आवेदन कर छूटी परीक्षा दे सकेगा। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालयीय य परीक्षा के साथ सतत आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जायेगा।

(ii) यदि किसी विद्यार्थी के विषम/सम सेमेस्टर के कतिपय प्रश्नपत्र (पेपर्स) छूट गये हों:–

स्पष्टीकरण– यदि वह वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नत होता है, तो वह अगले वर्ष के विषम/सम सेमेस्टर में विश्वविद्यालय पोर्टल पर बैक पेपर हेतु आवेदन कर छूटी परीक्षा दे सकेगा।

- यदि किसी विद्यार्थी की केवल विश्वविद्यालयीय लिखित परीक्षा छूटी है, तो वह केवल लिखित परीक्षा के बैक पेपर हेतु आनलाईन आवेदन करेगा।
- यदि किसी विद्यार्थी की प्रायोगिक परीक्षा छूटी है, तो वह केवल प्रायोगिक परीक्षा के बैक पेपर हेतु आनलाईन आवेदन करेगा।
- यदि किसी विद्यार्थी का सम्पूर्ण प्रश्नपत्र (विश्वविद्यालयीय लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा एवं सतत आन्तरिक मूल्यांकन) छूटी है, तो वह तीनों में बैक पेपर दे सकेगा।
- परन्तु, यदि किसी विद्यार्थी की केवल आन्तरिक परीक्षा छूटी है, तो वह केवल आन्तरिक परीक्षा का बैक पेपर नहीं दे सकेगा।

(iii) यदि कोई विद्यार्थी किसी विषम/सम सेमेस्टर के किसी प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण हो गया हो:–

स्पष्टीकरण–यदि वह वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नत होता है, तो वह अगले वर्ष के विषम/सम सेमेस्टर में विश्वविद्यालय पोर्टल पर बैक पेपर हेतु आवेदन कर अनुत्तीर्ण प्रश्नपत्र की परीक्षा पुनः दे सकेगा।

- यदि कोई विद्यार्थी केवल विश्वविद्यालयीय लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण है, तो वह केवल लिखित परीक्षा के बैक पेपर हेतु आनलाईन आवेदन करेगा।
- यदि कोई विद्यार्थी प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण है, तो वह केवल प्रायोगिक परीक्षा के बैक पेपर हेतु आनलाईन आवेदन करेगा।
- यदि कोई विद्यार्थी सम्पूर्ण प्रश्नपत्र (विश्वविद्यालयीय लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा एवं सतत आन्तरिक मूल्यांकन) में अनुत्तीर्ण है, तो वह केवल विश्वविद्यालयीय लिखित परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा में बैक पेपर दे सकेगा, परन्तु, वह सतत आन्तरिक मूल्यांकन में दोबारा परीक्षा नहीं दे सकेगा।

(iv) यदि किसी विद्यार्थी के अंक पत्र में किसी विषय में INC लगा है:–

स्पष्टीकरण– INC का तात्पर्य Incomplete opi(अपूर्ण) परीक्षाफल है। सम्बन्धित विद्यार्थी अंक पत्र की आनलाईन प्रति पर अपना हस्ताक्षर कर अपने महाविद्यालय में जमा करेगा। महाविद्यालय, अपूर्ण से सम्बन्धित ऐसे समस्त अंकपत्रों को एकत्र कर प्राचार्य द्वारा अपने लेटरपैड पर विश्वविद्यालय को सम्बोधित करते हुए पत्र के साथ विश्वविद्यालय प्रेषण सुनिश्चित किया जायेगा, जिस पर विश्वविद्यालय द्वारा अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(v) यदि किसी विद्यार्थी के अंक पत्र में को–करिकुलर कोर्स में NQ लगा है:–

स्पष्टीकरण– NQ का फुल फॉर्म Not Qualified है। विद्यार्थी कुल 100 अंक में से 40 अंक प्राप्त कर को–करिकुलर कोर्स उत्तीर्ण कर लेता है और उसे Q (Qualified) ग्रेड दिया जाता है, परन्तु निर्धारित उत्तीर्णांक 40 अंक न प्राप्त होने की स्थिति में विद्यार्थी अनुत्तीर्ण माना जाता है और उसे NQ (Not Qualified) ग्रेड दिया जाता है। विद्यार्थी को–करिकुलर कोर्स उत्तीर्ण करने हेतु विश्वविद्यालय पोर्टल पर आनलाईन आवेदन कर बैक पेपर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

(vi) यदि किसी विद्यार्थी के अंक पत्र में **RD** लिखा है:–

स्पष्टीकरण– RD का फुल फ़ॉर्म Result Detained है, अर्थात रिजल्ट किसी कारण से बाधित है। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित विद्यार्थी अंक पत्र की आनलाईन प्रति पर अपना हस्ताक्षर कर अपने महाविद्यालय में जमा करेगा। महाविद्यालय, ऐसे समस्त अंकपत्रों को एकत्र कर प्राचार्य द्वारा अपने लेटरपैड पर विश्वविद्यालय को सम्बोधित करते हुए पत्र के साथ विश्वविद्यालय प्रेषण सुनिश्चित किया जायेगा, जिस पर विश्वविद्यालय द्वारा अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

प्रो0 (आर0एन0 मिश्र),
प्राचार्य, श्री मु0मनो0टा0पी0जी0
कालेज, बलिया

प्रो0 (बैकुण्ठ नाथ पाण्डेय),
प्राचार्य, सतीश चन्द्र कालेज,
बलिया

प्रो0 (अशोक कुमार सिंह),
राजनीति विज्ञान विभाग,
कुँवर सिंह पी0जी0 कालेज,
बलिया

डॉ0 (पुष्पा मिश्रा),
निदेशक शैक्षणिक,
विश्वविद्यालय परिसर

डॉ0 (अजय कुमार चौबे),
संकायाध्यक्ष,
छात्र कल्याण

(एस0एल0 पाल),
कुलसचिव